न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/155

रामस्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम
2. जुगल किशोर पिसरान मोतीलाल जाति माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मोती लाल पुत्र श्री रामनाथ जाति माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया किया ग्राम खेडा में पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी कम 1 से 3 का हिस्सा 1/4 – 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है । इसी प्रकार अन्य भूमि है जो पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

नस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.05.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् रिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने ग्राम जालखेडा की आराजी खसरा नम्बर 297/541 व खसरा नम्बर 300 की भूमि रकबा 1.12 हैक्टर जो कि पारिवारिक बंटवारा दिनांक 09.06.92 के अनुसार अपीलान्ट प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की है उक्त भूमि या भाग को अप्रार्थी स्वयं के नाम रिकॉर्ड दर्ज होने के आधार पर न तो खुर्द–बुर्द अथवा बेचान करे और न उक्त भूमि भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में ताकत के बल पर मजाहमत, मदाखलत नहीं करे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राईमा फेसाई वाद मानते हुए दिनांक 30.05.2012 को स्थगन आदेश काश्त व मजाहमत मदाखलत बेचान के बाबत् दिया जिस स्थगन आदेश को दोनों पक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम आदेश का वाद के निर्णय तक दिया जाना था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायालय गुणदोष पर आधारित नहीं है और न ही स्पीकिंग आदेश है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है और एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2014 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवारा दिनांक 09.06.92 को हो गया था और उक्त पारिवारिक विभाजन के अनुसार अपीलान्ट जिस भूमि पर काश्त कर रहा है उस भूमि के बाबत् प्रार्थी अपीलान्ट ने अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करने अथवा बेचान नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राईमा फेसाई वाद मानते हुए दिनांक 30.05.2012 को स्थगन आदेश काश्त व मजाहमत मदाखलत बेचान के बाबत् दिया जिस स्थगन आदेश को दोनों पक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम आदेश का वाद के निर्णय तक दिया जाना था जिसे

धीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुणावगुण के आधार पर नहीं होने से तथा स्पीकिंग आदेश नहीं होने से उक्त निर्णय निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणवगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा